


न्यायालय-हर्ष भदौरिया, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण  
अधिनियम 2012 बड़वाह, जिला-मण्डलेश्वर (म0प्र0)  
आवश्यक सूचना

माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के एडवायजरी/निर्देश के अनुपालन तथा समस्त भारत देश में लॉक डाउन की स्थिति को देखते हुए सर्वसाधारण तथा इस न्यायालय के प्रकरणों से संबंधित समस्त अभिभाषकगण को सूचित किया जाता है कि कोराना वायरस के संक्रमण को रोके जाने हेतु सुरक्षात्मक दृष्टि से दिनांक 29.06.2020 से दिनांक 04.07.2020 के समस्त आपराधिक मामलों से संबंधित सभी प्रकरणों में अग्रिम पेशी तिथि निर्धारित किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः (अपरिहार्य स्थिति जैसे रिमाण्ड, जमानत, शीघ्र सुनवाई तथा अंडर ट्रायल अभियुक्तगण के मामलों को छोड़कर) सभी आपराधिक प्रकरण निम्नलिखित दिनांक 29.06.2020 से दिनांक 04.07.2020 तक के आपराधिक प्रकरण निम्नलिखित दिनांक के सामने लिखी नवीन अग्रिम दिनांक को सुनवाई पर लिये जावेंगे:-

क्रं0	पेशी	आगामी पेशी दिनांक	रिमार्क
01	29.06.2020	16.07.2020	
02	30.06.2020	17.07.2020	
03	01.07.2020	17.07.2020	
04	02.07.2020	20.07.2020	
05	03.07.2020	21.07.2020	
06	04.07.2020	22.07.2020	

  
(हर्ष भदौरिया)  
विशेष न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 बड़वाह जिला मण्डलेश्वर (म.प्र.)


न्यायालय:-द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बडवाह प0निमाड

// सूचना-पत्र //

माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय जबलपुर के मेमो क्र. क्यू-13 जबलपुर दिनांक 17.05.2020 के द्वारा कोरोना वायरस कोविड 19 महामारी के कारण दिनांक 30.05.2020 तक घोषित लॉकडाउन को दिनांक 04.07.2020 तक विस्तारित किया गया है। अतः त्वरित प्रकृति के प्रकरणों को छोड़कर इस न्यायालय में नियत दीवानी एवं आपराधिक प्रकरणों की सुनवाई हेतु आगामी तिथि नियत की जाती है। इस न्यायालय में पूर्व से नियत प्रकरणों को दृष्टिगत रखते हुए आज दिनांक 29.06.2020 से दिनांक 04.07.2020 तक नियत प्रकरणों को निम्नलिखित चार्ट में दर्शित तिथि को उसी प्रक्रम पर लिया जावेगा।

क्रमांक	पेशी दिनांक	आगामी नियत पेशी दिनांक आपराधिक प्रकरण	आगामी नियत पेशी दिनांक दीवानी प्रकरण
1	29.06.2020	13.08.2020	25.07.2020
2	30.06.2020	14.08.2020	26.08.2020
3	01.07.2020	- - -	- - -
4	02.07.2020	17.08.2020	27.08.2020
5	03.07.2020	18.08.2020	28.08.2020
6	04.07.2020	19.08.2020	29.08.2020

नोट:- अंतिम तर्क हेतु पूर्व से नियत प्रकरणों में अधिवक्तागण/पक्षकारगण नियत तिथि पर विडियों कान्फ्रेसिंग के माध्यम से उभयपक्ष की सहमति से अंतिम तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं।

  
(प्रवीण शिवहरे)  
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बडवाह  
पश्चिम निमाड (म.प्र.)



सुधीर सिंह निगवाल  
न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी  
बडवाह, पश्चिम निमाड़ (म.प्र.)

न्यायालय-सुधीरसिंह निगवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी एवं व्यवहार  
न्यायाधीश वर्ग-1, बडवाह जिला- मण्डलेश्वर 50 नि0

**-:आवश्यक सूचना:-**

माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के एडवायजरी/निर्देश के अनुपालन में सर्वसाधारण तथा इस न्यायालय के प्रकरणों से संबंधित समस्त अभिभाषकगण को सूचित किया जाता है की कोरोना वायरस के संक्रमण को रोके जाने हेतु सुरक्षात्मक दृष्टि से दिनांक 29/06/2020 से दिनांक 04/07/2020 तक समस्त सिविल एवं आपराधिक मामलो से संबंधित सभी प्रकरणों में अग्रिम पेशी दिनांक निर्धारित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः (अपरिहार्य स्थिति जैसे रिमाण्ड जमानत शीघ्र सुनवाई तथा निषेधाज्ञा मामलो तथा अंडर ट्रायल अभियुक्तगण के मामलो को छोड़कर) सभी सिविल एवं आपराधिक प्रकरण निम्नलिखित दिनांक 29/06/2020 से दिनांक 04/07/2020 तक के सिविल एवं आपराधिक प्रकरण निम्नलिखित दिनांक के सामने लिखी नवीन अग्रिम दिनांक को सुनवाई पर लिये जायेंगे।

इस हेतु अभिभाषकगण अपने अपने पक्षकारो को अपने स्तर पर अवगत कराने का कष्ट करें।

सिविल एवं आपराधिक दोनो प्रकरणो हेतु अग्रिम नवीन दिनांक			जेल में निरुद्ध बंदियों के समस्त प्रकरण
क्रमांक	पेशी दिनांक	आगामी पेशी दिनांक	आगामी पेशी दिनांक
1	29/06/20	6/7/20	6/7/2020
2	03/07/20	11/8/20	—

(सुधीर सिंह निगवाल)  
**सुधीर सिंह निगवाल**  
न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी  
बडवाह, पश्चिम निमाड़ (म.प्र.)

न्यायालय- जितेन्द्रसिंह परमार, व्यवहार न्यायाधीश  
वर्ग-2 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, बडवाह  
पश्चिम निमाड म.प्र.

// आम सूचना //

माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के मेमो क्यु-5 दिनांक 25.03.2020 क्यु-12 दिनांक 04.05.2020, सी/1455 दिनांक 19.06.2020 एवं अन्य सरकुलर एवं क्लेरिफिकेशन द्वारा कोरोना वायरस कोविड -19 महामारी के घोषित लाकडाउन को डी/2377 दिनांक 27.06.2020 के द्वारा दिनांक 04.07.2020 तक विस्तारित किया गया है। अतः (त्वरित रिमांड, सुर्पुदनामा, जमानत, अंडर ट्रायल अभियुक्तगण के मामलो को छोडकर) इस न्यायालय में नियत दिवानी एवं आपराधिक प्रकरणों की सुनवाई हेतु आगामी तिथि नियत की जाती है।

अतः इस न्यायालय में पूर्व से नियत प्रकरणों को दृष्टिगत रखते हुये दिनांक 29.06.2020 से दिनांक 04.07.2020 तक के लंबित सिविल एवं आपराधिक शाखा के प्रकरण जो कॉलम क्रमांक-2 में उल्लेखित पेशी दिनांक के क्रमांक-3 एवं 4 में उल्लेखित तिथियों को उसी प्रक्रम पर सुनवाई में लिये जावेंगे।

क्रमांक	पेशी दिनांक	अपराधिक प्रकरण आगामी तिथि	सिविल प्रकरण आगामी तिथि
1	2	3	4
1	29.06.2020	निरंक	14.07.2020
2	30.06.2020	निरंक	निरंक
3	01.07.2020	निरंक	निरंक
4	02.07.2020	20.07.2020	15.07.2020
5	03.07.2020	21.07.2020	16.07.2020
6	04.07.2020	22.07.2020	17.07.2020

जितेन्द्रसिंह परमार  
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2  
एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बडवाह